सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 461 राँची, शुक्रवार, 28 फाल्गुन, 1937 (श०)
18 मार्च, 2016 (ई०)

कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

2 फरवरी, 2016

1. आयुक्त, पलामू प्रमंडल, मेदिनीनगर का पत्रांक-06/गो०, दिनांक 15 जनवरी, 2016

2. समाहरणालय, गढ़वा का आदेश ज्ञापांक-07/गो०, दिनांक 05 जनवरी, 2016

संख्या -5/आरोप - 1-6/2016 का. 856 --श्री श्रीराम तिवारी, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-477/03, गृह जिला- भोजपुर) के उप विकास आयुक्त, गढ़वा के पद पर कार्यावधि में आयुक्त, पलामू प्रमंडल, मेदिनीनगर का पत्रांक-06/गो०, दिनांक 15 जनवरी, 2016 द्वारा झारखण्ड विधान सभा की लोक लेखा समिति के गढ़वा जिला परिभ्रमण के क्रम में समिति के प्रति समुचित सौजन्यता प्रकट नहीं किये जाने से संबंधित जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है।

समाहरणालय, गढ़वा के आदेश ज्ञापांक-07/गो०, दिनांक 5 जनवरी, 2016 द्वारा झारखण्ड विधान सभा की लोक लेखा समिति के दिनांक 9 जनवरी, 2016 से 10 जनवरी, 2016 तक गढ़वा जिला के भ्रमण कार्यक्रम का सम्पूर्ण वरीय प्रभार उप विकास आयुक्त, गढ़वा को सौंपा गया था। साथ ही, उप विकास आयुक्त, गढ़वा को निदेश दिया गया था कि झारखण्ड विधान सभा की लेखा समिति के माननीय सभापति सहित माननीय सदस्य के गढ़वा जिला आगमन एवं समिति द्वारा निर्धारित बैठक तथा स्थल निरीक्षण के समय समिति के निदेशानुसार संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक प्रतिवेदन सहित उपस्थित रहने हेतु सूचित करेंगे। इसके अतिरिक्त इन्हें माननीय सभापति महोदय एवं सदस्यों के निदेशानुसार स्थल भ्रमण की व्यवस्था करने एवं आवश्यक सूचना/प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का भी निदेश दिया गया था।

आयुक्त, पलामू प्रमंडल, मेदिनीनगर का पत्रांक-06/गो०, दिनांक 15 जनवरी, 2016 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के अनुसार झारखण्ड विधान सभा की लोक लेखा समिति के गढ़वा परिसदन में आवासन के दौरान परिसदन में घोर अव्यवस्था व्याप्त थी, यथा दिनांक 9 जनवरी, 2016 की रात्रि में परिसदन के किसी भी नल में पानी नहीं आना, कम्बल की समुचित व्यवस्था नहीं होना, किसी जिम्मेदार पदाधिकारी का परिसदन में उपस्थित नहीं होना। साथ ही, समिति के सदस्यों द्वारा उप विकास आयुक्त, गढ़वा को अनेक बार फोन लगाने के बावजूद उनके द्वारा फोन रिसिव नहीं किया गया।

आयुक्त, पलामू प्रमंडल, मेदिनीनगर से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा में पाया गया है कि श्री श्रीराम तिवारी, उप विकास आयुक्त, गढ़वा झारखण्ड विधान सभा की लोक लेखा समिति के गढ़वा परिसदन में आवासन के दौरान व्याप्त अव्यवस्था के लिए दोषी हैं। इनके द्वारा कर्त्तव्य के निर्वहन में लापरवाही बरती गयी है। इसलिए इन्हें **"निन्दन"** की सजा दी जाती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

दिलीप तिर्की,

सरकार के उप सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,

झारखण्ड गजट (असाधारण) 461—50 ।